

3/2/16

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

(RTE)

क्रमांक प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई /2014

3/2/2016

जयपुर दिनांक 02-02-16

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के दिशा निर्देशों के क्रम में ।

363  
3 - FEB 2016  
महोदय,  
राज

सन्दर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.11.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.11.2015 द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2015 के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अध्याय-3, भौतिक सत्यापन के कार्यक्रम में संशोधन किया गया था । इस क्रम में निर्देशानुसार निम्नानुसार पुनः संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है :-

शैक्षिक सत्र	निर्धारित तिथियाँ	
	विद्यालयों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना
2013-14	15.02.2016	20.02.2016
2014-15	15.02.2016	20.02.2016
2015-16	15.02.2016	20.02.2016

भवदीय,  
अशोक कुमार गर्ग  
(अशोक कुमार गर्ग)  
लेखाधिकारी

## कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/15-16/ 294

दिनांक- 3-2-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
3. श्री विनोद जैन, साइंटिस्ट (ग्रुप-डी), NIC, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आरटीई वेब पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें ।
4. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि मंडल के अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) शिक्षा कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से टाईमफ्रेम के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं गैर. सरकारी विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा घोषित टाईमफ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करावें ।

अजीत सिंह  
(अजीत सिंह)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर